न्यायालय जिला कलक्टर, दौसा

पीठासीन अधिकारी : कमर चौधरी
आई0ए0एस0

प्रकरण सं0: 70/2021 स्था0 प्रार्थना पत्र

बलवीर पुत्र मिश्री लाल जाति मीना निवासी टीकरी जाफरान तहसील महवा जिला दौसा राजस्थान।

...प्रार्थी

बनाम

1. मूर्ति मंदिर श्री नृसिंहजी महाराज बिराजमान ग्राम टीकरी जाफरान तहसील महवा जिला दौसा राजस्थान जरिये पुजारी
2. राजस्थान सरकार जरिये लैण्ड होल्डर तहसीलदार महवा जिला दौसा
3. जयनारायण पुत्र रामस्वरूप जाति मीना निवासी टीकरी जाफरान तहसील महवा जिला दौसा राजस्थान।
4. श्री विनोद कुमार मीना पीठासीन अधिकारी न्यायालय उपखण्ड अधिकारी महवा जिला दौसा।

...अप्रार्थीगण

स्थानांतरण प्रार्थना पत्र विरूद्ध पीठासीन अधिकारी श्री विनोद कुमार मीना, न्यायालय उपखंड अधिकारी महवा मुकदमा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 145 जा0फो0 प्रकरण संख्या 03/2021 उनवानी सरकार बनाम रामकिशन, जयनारायण आदि।

उपस्थित : 1. श्री सतीश कुमार पारीक, अधिवक्ता प्रार्थी।
2. राजेश कुमार शर्मा, राजकीय अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 02 व 04 की ओर से।

:: निर्णय :: दिनांक 10.3.2022

संक्षिप्त में प्रार्थना पत्र के तथ्य इस प्रकार हैं कि प्रार्थी द्वारा न्यायालय उपखण्ड अधिकारी महवा में विचाराधीन मुकदमा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 145 जा0फो0 प्रकरण संख्या 03/2021 उनवानी सरकार बनाम रामकिशन, जयनारायण आदि को किसी अन्य सक्षम न्यायालय में सुनवाई हेतु स्थानांतरित करने हेतु स्थानांतरण प्रार्थना पत्र पेश किया गया है।

प्रार्थना पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर कर तलबी अप्रार्थीगण की गई एवं अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी दौसा से तथ्यात्मक टिप्पणी तलब की गई। अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा बहस के दौरान प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि न्यायालय उपखंड अधिकारी महवा के समक्ष प्रकरण सरकार बनाम रामकिशन, जयनारायण का अंतर्गत धारा 145 जा0फो0 का विचाराधीन है, जिसमें प्रार्थी की रजिस्टर्ड विक्रय पत्र द्वारा खरीदी गई भूमि को गलत तरीके से उक्त प्रकरण में शामिल कर लिया गया है, जबकि प्रार्थी की भूमि से प्रकरण का कोई किसी प्रकार का वास्ता नहीं है। प्रकरण में तारीख पेशी दिनांक 14.12.2021 व 21.12.2021 नियत कर दी गई है। उपरोक्त उनवानी प्रकरण में संपूर्ण वास्तविक स्थिति स्पष्ट करने व नकलें निकलवाकर प्रस्तुत करने के लिए प्रार्थी ने अधीनस्थ न्यायालय में समय लेने के लिए

Signature Not Verified
Digitally signed by Qummer Ul Zaman Choudhary
Date: 2022.04.01 10:18:09 IST
Reason: SelfAttested

निवेदन किया तो अधीनस्थ न्यायालय द्वारा बडी मुश्किल से सात दिन की पेशी दिनांक 21.12.2021 नियत कर दी जबकि प्रार्थी ने 15 दिवस का अवसर देने के लिए काफी निवेदन किया था परन्तु सात दिवस की ही पेशी दी गई। अधीनस्थ न्यायालय के पीठासीन अधिकारी ने प्रकरण नया होने के बावजूद कहा कि आप तो आज ही बहस करो अन्यथा मै तो निर्णय करूंगा। प्रार्थी द्वारा काफी मिन्नतें करने पर बडी मुश्किल से सात दिन की पेशी दी गई है। अधीनस्थ न्यायालय के पीठायीन अधिकारी द्वारा राजस्व कैम्प चल रहे होने के बावजूद भी तथा कैम्पों में व्यस्त रहने के बावजूद भी सात–सात दिन की पेशियां दी गई है। साथ ही सबूत व दस्तावेज पेश करने के लिए भी पर्याप्त समय नहीं दिया जा रहा है। अप्रार्थी संख्या 03 ने गांव में प्रार्थी को धमकी दी है कि दिनांक 21.12.2021 को वो प्रार्थी के खिलाफ फैसला करवा देगा। उसकी पीठासीन अधिकारी जी से बात हो गई है। प्रार्थी को अधीनस्थ न्यायालय के पीठासीन अधिकारी से याय की कोई उम्मीद नही है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर अधीनस्थ न्यायालय उपखंड अधिकारी महवा के समक्ष विचाराधीन प्रकरण संख्या 03/2021 अंतर्गत धारा 145 जा0फो0 उनवानी सरकार बनाम रामकिशन जयनारायण आदि को अन्य सक्षम न्यायालय में सुनवाई हेतु स्थानान्तरित करने के आदेश फरमावे।

अप्रार्थी संख्या 03 बाद तामील न्यायालय में उपस्थित नहीं होने से उनके विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई।

उपखंड अधिकारी महवा से टिप्पणी प्राप्त की गई। प्राप्त टिप्पणी के अनुसार न्यायालय उपखंड अधिकारी महवा में अंतिर्गत धारा 145 जा0फो0 उनवान सरकार जरिये थानाधिकारी महवा बनाम रामकिशन वगै0 विचाराधीन है जिसमें आगामी तारीख पेशी दिनांक 04.02.2022 नियत है। प्रकरण में न्यायिक प्रकिया के तहत उभय पक्ष की सुनवाई की जाकर कार्यवाही की जा रही है। प्रकरण में उभय पक्ष की उपस्थिति में प्रकरण को दृष्टिगत रखते हुए तारीख पेशी दी जा रही है। प्रशासन गांवों के संग अभियान में शिविरों के दौरान उक्त प्रकरण में उभय पक्ष की उपस्थिति में ही सुनवाई की गई थी। उक्त अवधि में पक्षकारान की तलबी से संबंधित कार्यवाही ही संपादित की गई थी। प्रकरण में प्रार्थी को भी साक्ष्य प्रस्तुत करने हेतु पर्याप्त अवसर दिये जा रहे है। प्रकरण में न्यायिक प्रकिया के तहत ही कार्यवाही की जा रही है। प्रकरण के स्थानान्तरित किये जाने में न्यायालय को कोई आपत्ति नहीं है।

राजकीय अधिवक्ता की बहस में दलील है कि न्यायालय उपखंड अधिकारी महवा में अंतर्गत धारा 145 जा0फो0 उनवान सरकार जरिये थानाधिकारी महवा बनाम रामकिशन वगै0 विचाराधीन है जिसमें आगामी तारीख पेशी दिनांक 04.02.2022 नियत है। प्रकरण में न्यायिक प्रकिया के तहत उभय पक्ष की सुनवाई की जाकर कार्यवाही की जा रही है। प्रार्थी का उददेश्य उक्त वाद को ज्यादा से ज्यादा लम्बित करते रहने का है। उक्त प्रकरण की सुनवाई उपखण्ड अधिकारी महवा के समक्ष ही करवाया जाना न्यायोचित है। अतः स्थानान्तरण प्रार्थना पत्र खारिज फरमाया जावे।

हमने अधिवक्तागण उभयपक्ष की बहस को सुना किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया। उपखंड अधिकारी महवा द्वारा प्रकरण में उभयपक्ष की उपस्थिति में सुनवाई की जा रही है। उपखण्ड अधिकारी महवा ने प्रकरण को अन्य सक्षम न्यायालय में स्थानान्तरण करने मे कोई आपत्ति नही होना व्यक्त किया है। अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा प्रकरण को अन्य सक्षम

Signature Not Verified
Digitally signed by Qummer Ul Zaman Choudhary
Date: 2022.04.01 10:18:09 IST
Reason: SelfAttested

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

न्यायालय में स्थानान्तरित करने के संबंध मे कोई औचित्य पूर्ण तथ्य प्रस्तुत नही किये गये है। साथ ही अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा बहस के दौरान अवगत कराया कि अधीनस्थ न्यायालय उपखंड अधिकारी महवा के न्यायालय में विचाराधीन प्रकरण संख्या संख्या 03/2021 अंतर्गत धारा 145 जा0फो0 उनवानी सरकार बनाम रामकिशन जयनारायण आदि में पीठासीन अधिकारी द्वारा छोटी–2 तारीख पेशी दी जा रही है। राजकीय अधिवक्ता ने बहस के दौरान दलील दी है कि उपखंड अधिकारी महवा के न्यायालय में विचाराधीन प्रकरण संख्या 03/2021 अंतर्गत धारा 145 जा0फो0 उनवानी सरकार बनाम रामकिशन जयनारायण आदि जो कि आवश्यक प्रकृति का है। उपखंड अधिकारी महवा द्वारा न्यायालय जिला कलक्टर दौसा में स्थानान्तरण प्रार्थना पत्र लंबित होने के कारण अंतिम निर्णय लिया जाना संभव नहीं था। न्यायालय जिला कलक्टर दौसा द्वारा स्थानान्तरण प्रकरण में कई तारीख पेशी दी गई, जिससे उपखंड अधिकारी महवा को भी अपने न्ययायालय में लंबित प्रकरण में स्थानान्तरण प्रा0पत्र के निर्णय की अपेक्षा में छोटी–2 तारीख दिया जाना न्यायोचित है। अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा स्थानान्तरण प्र0पत्र अन्य सक्षम न्यायालय में स्थानान्तरित किये जाने में कोई ठोस वजह नहीं पाई जाने को दृष्टिगत रखते हुए प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत स्थानान्तरण प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना हम उचित नही समझते है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर न्यायालय उपखण्ड अधिकारी महवा मे विचाराधीन प्रकरण प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 145 जा0फो0 प्रकरण संख्या 03/2021 उनवानी सरकार बनाम रामकिशन, जयनारायण आदि को न्यायालय उपखण्ड अधिकारी महवा से अन्य सक्षम न्यायालय को स्थानान्तरित करने हेतु प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत स्थानान्तरण प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है। अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी महवा को निर्णय की प्रति भिजवाई जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो एवं बाद पूर्ति प्रविष्ठ लेख भण्डार हो।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

(कमर चौधरी)
जिला कलेक्टर, दौसा

निर्णय आज दिनांक 10 मार्च, 2022 को लिखवाया जाकर मेरे हस्ताक्षरित एवं न्यायालय की मुद्रांकित खुले न्यायालय सुनाया गया ।

(कमर चौधरी)
जिला कलेक्टर, दौसा
जिला कलेक्टर, दौसा

न्यायालय कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट

Signature Not Verified

Digitally signed by Qummer Ul Zaman Choudhary
Date: 2022.04.01 10:18:09 IST
Reason: SelfAttested